



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India



वेबसाइट : <https://dicgc.org.in/hindi/>
Website: www.dicgc.org.in
ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in

January 02, 2025

Deposit Insurance Scheme, 1961-Cancellation of Registration- The Vaishali Shahari Vikas Co-operative Bank Ltd., Hajipur, Dist. Vaishali
जमा बीमा योजना, 1961 - पंजीकरण रद्द करना - द वैशाली शहरी विकास को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जि. वैशाली

The Reserve Bank of India (RBI), vide order CO.DOR.RG.No.S59 381 1 2-28-207/2024-2025 dated December 30, 2024, has cancelled the license of **The Vaishali Shahari Vikas Co-operative Bank Ltd., Hajipur, Dist. Vaishali**. The bank ceases to carry on banking business, with effect from the close of business on December 30, 2024.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 दिसम्बर 2024 के आदेश द्वारा **द वैशाली शहरी विकास को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जि. वैशाली** का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक 30 दिसम्बर 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है।

2. Consequently, the registration of the bank with Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) stands cancelled with effect from December 30, 2024.

परिणामस्वरूप, बीमित बैंक के रूप में बैंक का पंजीकरण 30 दिसम्बर 2024 की तारीख को रद्द कर दिया गया है।

3. Please note that in terms of Section 16 of the DICGC Act, the Corporation is liable to pay to every depositor of **The Vaishali Shahari Vikas Co-operative Bank Ltd., Hajipur, Dist. Vaishali** an amount equal to the amount due to him in respect of his deposit in that bank at the time when such order is made i.e., December 30, 2024, provided that the total amount payable by the Corporation to any one depositor in respect of his deposits as on the date of the cancellation of the registration of the bank shall be limited to ₹ 5 lakhs in the same capacity and in the same right.

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India



वेबसाइट : <https://dicgc.org.in/hindi/>
Website: www.dicgc.org.in
ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in

कृपया नोट करें कि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, निगम बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को, उस समय जब इस प्रकार का आदेश दिया जाता है अर्थात 30 दिसम्बर 2024 को, उस बैंक में उसकी जमा राशि के संबंध में उसे देय राशि के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते कि बैंक के पंजीकरण को रद्द करने की तारीख पर निगम द्वारा किसी जमाकर्ता को उसकी जमा राशि के संबंध में देय कुल राशि, समान क्षमता और समान अधिकार में ₹ 5 लाख तक सीमित होगी।

पवनजीत कौर ऋषि
उप महाप्रबंधक

प्रेस विज्ञप्ति/Press Release: 2024-2025/18